2026/238

निर्णय
10.4.2026

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

श्योचन्द बनाम भंवरलाल आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 159 वर्ष 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
02.04.2026	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्बी किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 10.04.2026 को पेश हो।	
07.4.2026	वकील वादी व प्रतिवादीगण के निवेदन किया कि पत्रावली को आज की पेशी मे लिया जावे जिस पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। बकुलाए फरिकैन उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 ता 8 ने जरिये वकील श्री अंकुरवर्मा उपस्थित आकर इकबाल दावा पेश किया। पत्रावली वास्ते जवाब स्टेट आईटा ता० 10/4/2026 को पेश हो।	अ.नि. भंवरलाल अ.नि. बनवारी
10.4.2026	बकुलाए फरिकैन उपस्थित। जवाब स्टेट प्राप्त हुआ। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व सहमति के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर अखिल दफ्तर हो।	अ.नि. कौशल्या रामनारायण अ.नि. मैनाउर्फ सुमित्रा शिवनारायण अ.नि. सावित्री अ.नि. विद्याधर विद्यालय स. मर्ती

श्योचन्द
प. मर्ती

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2026.04.29 13:02:04 IST
Reason: SelfAttested